

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

सं0सं0-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/परिवाद-11-15/2026

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ई0 सुनील कुमार,
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर ।

विषय - मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिवान के अंतर्गत अल्पकालीन पुनर्निविदा के विरुद्ध प्राप्त परिवाद की अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर दिनांक-20.08.2026 को गठित समिति की आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिवान के अंतर्गत अल्पकालीन पुनर्निविदा के विरुद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षात्मक बैठक अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक-20.08.2026 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिवान के अल्पकालीन पुनर्निविदा के विरुद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षा हुई:-

क्र0	प्रमण्डल का नाम	अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	कार्य का नाम
1	2	3	4
1	ल0सिं0प्रम0, सिवान	02/2026-27, ग्रुप सं0-01, टेंडर आई0डी0-132178	रानी सागर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य ।

अतएव उक्त बैठक की कार्यवाही संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

अनु0:- यथावत्।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :-

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथावत्।

ह0/-

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- 999

/पटना, दिनांक :- 20.08.26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को 01 (एक) अदद समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथावत्।

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिवान अन्तर्गत अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2026-27, ग्रुप संख्या-01 रानी सागर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य में प्राप्त परिवाद पर अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति की कार्यवाही :-

1.	कार्य का नाम	:-	रानी सागर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य ।
2.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम	:-	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिवान
3.	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:-	113.674 लाख
4.	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:-	113.869 लाख
5.	परिमाण विपत्र की राशि	:-	1,12,70,009 लाख
6.	कार्य समाप्ति की अवधि	:-	एकरारनामा की तिथि से 09 माह
7.	निविदा की प्रक्रिया	:-	E-Tendering
8.	निविदा प्राप्ति की तिथि	:-	04.06.2026
9.	प्राप्त निविदा की संख्या	:-	03
10.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा तकनीकी निविदा समिति की बैठक की तिथि एवं कार्यवाही।	:-	संलग्न (पृ0सं0-14-13)
11.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी	:-	संलग्न (पृ0सं0-08)
12.	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:-	(हाँ) प्रथम निविदा में L 1 संवेदक द्वारा फर्जी अग्रधन की राशि जमा करने के कारण कालीकृत किया गया तथा प्रथम पुनर्निविदा में निविदा की कंडिकाओं में भिन्नता पायी गयी ।
13.	परिवादी का नाम	:-	1 अमित सिंह, ग्राम-कैथवलिया, पो०-सनखेखास, थाना-उच्कागाँव, जिला-गोपालगंज 2 जगनारायण सिंह, ग्राम-डिहरी, पो०-असनी, थाना-उदवंतनगर जिला-भोजपुर

1. अग्रिम सिद्ध, ग्राम-कैथवलिया, पी०-सतखेखास, थाना-उदकपार, जिला-गोपालगढ़ :- (i) विषयवस्तु का कार्य हेतु भरे द्वारा निवेदन दी गई है। परन्तु तकनीकी समीक्षा के तहत इस आधार पर निवेदन अमान्य किया गया है कि अद्यतन यानी 2025-26 का GST/ITR तकनीकी ब्रीड में अपलोड नहीं किया गया है। इस संदर्भ में श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस आधार से अवगत कराना चाहेंगा कि अद्यतन यानी 2025-26 का रिटर्न दाखिल करने हेतु सरकार के वेबसाइट पर फॉर्मेट उपलब्ध (अपलोड) हो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रिटर्न दाखिल होने का स्वाभाव ही नहीं पैदा होता है, तथा इस आधार पर तकनीकी ब्रीड अमान्य हो जाना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। दूसरी तरफ विवरण स्रोतों से पता चलता है कि पूर्व में Same terms & condition के तहत NIT सं. 02/2025-26 के आलोक में सेवा तालाब का जीर्णोद्धार कार्य श्री जगनारायण सिंह को बिना अद्यतन ITR/GST के निवेदन का निष्पादन कर एकरारनामा किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान निवेदन को अमान्य करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः श्रीमान से भरा अनुरोध होगा कि भरे द्वारा दिए गए निवेदन पर पुनर्विचार करते हुए भरे तकनीकी ब्रीड को मान्य करने की कृपा की जाय।

(iii) विषयवस्तु निवेदन में भी निवेदादाता हैं। उक्त निवेदन में जगनारायण सिंह नाम से भी एक निवेदन है। विवरण स्रोतों से पता चलता है कि जगनारायण सिंह द्वारा दिए गए निवेदन दस्तावेज (document) में उनके यहाँ कार्यरत अभियंता का प्रमाण पत्र सन 1972 में निर्मित है। स्वामालिक है कि सन 1972 में निर्मित प्रमाण पत्र के व्यक्ति का जन्म वर्ष सन 1945-46 के लगभग होगा, जिनकी वर्तमान में उम्र लगभग 80-81 वर्ष की होगी। ऐसी परिस्थिति में यह जाँच और सत्यापन का विषय है कि उक्त अभियंता महोदय वर्तमान में जीवित हैं या नहीं, या अगर जीवित भी हैं तो उनकी कार्य क्षमता कार्य करने योग्य है कि नहीं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भरे द्वारा वर्णित उपर्युक्त विवरणों का महन जाँच कर निवेदन से संबंधित आवश्यक एवं अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

2. जगनारायण सिंह, ग्राम-सिहरी, पी०-असनी, थाना-उदकपार, जिला-गोपालगढ़ :- यह कि मैं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, गुजरात के NIT No-02/2026-27 (द्वितीय पुनर्निवेदन) के मूल संख्या-01, लघु सिंचाई प्रमंडल, विमान अन्तर्गत रानी सगर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य में भाग लिया हूँ। यह कि उपरोक्त निवेदन में मुझे प्रजाक-मृ०अ०/ल०ज०स०/

निवेदन (ल० का जी०स०)-06/25 1002/गु०, दिनांक-15.06.2026 के तहत निवेदन समिति के निर्णय के अनुसार कंडिका 21 के (ख) के अनुसार अद्यतन GST/ITR अपलोड नहीं होने के बावजूद भरे तकनीकी निवेदन को अमान्य कर दिया गया है, जबकि मुझे इसी GST/ITR के आधार पर लघु सिंचाई प्रमंडल विमान के पुनर्निवेदन आदेश सं०-04/2025-26 के मूल सं०-01 पर अधिकतम खंड दरौली के दोन वृत्त पंचायत में अवस्थित सेवा तालाब का जीर्णोद्धार कार्य मुझे आवंटित किया गया है, जिसका एकरारनामा संख्या-01F2/2026-27 है, जो कार्य अभी भी चल रहा है। अतः भरे उपरोक्त GST/ITR की सही ढंग से जाँच कर मुझे उपरोक्त निवेदन में समीक्षित करने की कृपा की जाय।

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

1. अभित सिंह, ग्राम-कैथवलिया, पी०-सनखेखास, थाना-उत्कण्ठ, जिला-गोपालगंज :-

(i) परिवारी द्वारा समर्पित परिवार पर पुनर्समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक-1055 दिनांक-22.06.2026 परिवारी द्वारा दिये गये परिवार का समीक्षा कर अन्तर कार्डाई हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित किया गया। परिवारी के द्वारा दिये गये परिवार के विन्दु संख्या 02 में रखे गये तथ्यों के आलोक में अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भी विवर दिकेदार निवेदन अपना कर निवेदन में संलग्न किया गया है। जो विवर दिकेदार निवेदन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) उप कंडिका (VII) के तहत कार्डाई करना आवश्यक हो गया।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में परिवारी के परिवार के विन्दु (ii) को मान्य तथा निवेदादाला श्री जगनारायण सिंह के तकनीकी निवेदा को अमान्य किया जा सकता है।

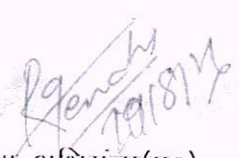
तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिये गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

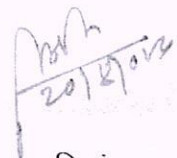
2. जगनारायण सिंह, ग्राम-डिहरी, पी०-अरानी, थाना-उदयनगर जिला-गोपालगंज :- परिवारी द्वारा समर्पित परिवार पर पुनर्समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि Technical Sheet में सिर्फ GST No. की मांग की गयी है, जो इनके द्वारा E-proc 2.0 पॉर्टल पर अपलोड किया गया है। परिवारी के परिवार के इस विन्दु को मान्य किया जा सकता है।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिये गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

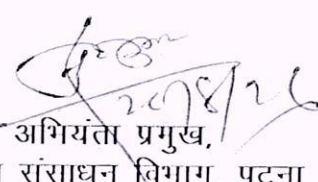
मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुवाफकरपुर स्तर की निवेदा समिति की आज्ञा

16. अभियंता प्रमुख स्तर पर परिवार निस्तारण हेतु समिति की समीक्षा	1. अभित सिंह, ग्राम-कैथवलिया, पो०-सनखेखास, थाना-उच्कागाँव, जिला-गोपालगंज :- (i) परिवारी के परिवार की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवारी के परिवार के इस बिन्दु को मान्य किया जाता है। (ii) परिवारी के परिवार की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री जगनारायण सिंह द्वारा रखे गये अभियंताओं का प्रमाण-पत्र फर्जी तरीका अपनाकर निविदा में संलग्न किया गया है। अतएव परिवारी के परिवार के इस बिन्दु को मान्य किया जाता है। चूंकि निविदादाता श्री जगनारायण सिंह द्वारा इस निविदा में रखे गये अभियंताओं का प्रमाण-पत्र फर्जी तरीके अपनाकर निविदा में संलग्न कर निविदा प्राप्त किये जाने का प्रयास किया गया है। अतएव इनके विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के द्वारा किया जाना अपेक्षित है। 2. जगनारायण सिंह, ग्राम-डिहरी, पो०-असनी, थाना-उदवंतनगर जिला-भोजपुर :- परिवारी के परिवार की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवारी के परिवार के इस बिन्दु को मान्य किया जाता है।
---	---


अधीक्षण अभियंता(गु०).
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।


मुख्य अभियंता
(गु०+अनु०+गु०).
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।


मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग,
भागलपुर ।


अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।